अनुसूची 21—फार्म सं० 113

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

*प्रमाण-पत्र संख्या omm Realty and Infrastructure Pvt Ltd Ranchi.

चूँकि श्री M/S Saturnjay Kumar Singh

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्धारित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

तत्संबंध में मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणिकाओं में ता० 2005 से ता० till date तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला

चला है आ० Name से मेल खाता पाया।

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के ब्यौरे		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	पृष्ठ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

mauza

Rustampur Shahpur

alias Sikandarpur

Khata No - 56 and 58

S. Plot No - 60 and 61

Thana

Danapur

17

District

Patna

Area

3 1/4 13.05 Sq. Feet

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

2. बंधक-पत्र की दिशा ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।

3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अभारों को छोड़ इस संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): [illegible]

(पदनाम): UDC

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर): Chandra.

(पदनाम): A.D.C.

कार्यालय: Gaya jour

तारीख: 18-6-2018

मुहरबन्द निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजो में दिखाया गया हो तो वैसो दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्सैक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जावेगें।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (वाहगो) और अनुक्रमणिकाओं (इन्डेक्स) की प्रतियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि [illegible] किन्हीं [illegible] के लिये [illegible] स्थानों [illegible] निर्धारित फीस का भुगतान करने पर फीसों और अनुक्रमणिकायें उनके पास सामने रखदी जावेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अंकित तलाशी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है, और चूँकि अगले वर्ष पूर्व की संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन का भार प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा छूट गये ऐसे व्यवहारों और अवभारों को छूट के लिये किसी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, [illegible] निबंधक Gaya jour

आय संख्या 2284 दिनांक 18-6-18

आवेदक श्री Satyendra Kumar Singh

का उपभार प्रमाण पत्र द्वारा Central Bank of India, Branch Rajendra

नं. उसके पत्र संख्या [illegible] दिनांक 11/6/18 के प्रकाश में अनुमोदित की जाती है।

Nagar Bhawan

निबंधन पदाधिकारी

SPL-469/09-2,00,000